The above modernisation projects are under various stages of implementation and will result in higher BF productivity, reduction in coke rate, energy consumption and production costs, increase in manpower productivity and Crude Steel production, better quality products, improvement in techno-economic parameters and environment conditions, etc.

इस्पात पर भाड़ा प्रभार

3237. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा इस्पात पर उपभोक्ताओं से भाड़ा प्रभार लेने से संबंधित नियम क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि गाजियाबाद स्थित स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के कार्यालय में भाड़ा प्रभार सामान्य दर से अधिक लिया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस अतिरिक्त प्रभार-राशि को वापस देने के संबंध में अब तक क्या प्रयास किये गये हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) दिनांक 16-1-92 से माल भाड़ा समकरण योजना को समाप्त करने के बाद 'सेल' जैसे इस्पात के अन्य प्रमुख उत्पादक वास्तविक माल भाड़ा अथवा अधिकतम माल भाड़ा तत्व, इनमें से जो भी कम हो, लोहे और इस्पात की सामग्री की जे०पी०सी० श्रेणियों पर वसूल कर रहे हैं। अधिकतम माल भाड़ा तत्व (जो 16-1-92 तक तत्कालीन जे०पी०सी० मूल्यों में शामिल है, पूर्ववर्ती समकृत माल भाड़ा तत्व के अनुरूप है) की हाल ही में संशोधित करके 1210 रुपये प्रति टन कर दिया गया।

परिणास्वरुप, इस्पात की स्टाकयार्ड डिलिवरी के संबंध में उपभोक्ताओं (प्रासंगिक माल भाड़े के अनुरूप) से प्रति टन वसूल किया जाने वाला माल भाड़ा वह वास्तविक माल भाड़ा होता है जो रेलवे रसीद को बीजक की मात्रा से भाग करके उसमें साइडिंग, हाउलिंग और संटिंग के रूप में 35 रुपये जोड़ कर जो बनता है अथवा 1210 रुपये प्रति टन, इनमें से जो कम हो, होता है।

गैर जे०पी०सी० मदों के मामले में, इस्पात की स्टाकयार्ड डिलिवरी के संबंध में प्रासंगिक माल भाड़ा वह वास्तविक माल भाड़ा होता है जो रेलवे रसीद को बीजक की मात्रा से भाग करके उसमें साइडिंग, हाउलिंग और संटिंग चार्च के रूप में 35 रुपये जोड़कर बनता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात के मूल्यों का विनियमन समाप्त करना

3438. **श्री परमेश्वर कुमार अग्रवाल**: क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूल्यों से विनियमन समाप्त करने के पश्चात इस्पात उत्पादों के संबंध में विभिन्न उत्पादन इकाइयों द्वारा किये जाने वाले मूल्यों में कुछ परिवर्तन हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) 16 जनवरी, 1992 से लोहा तथा इस्पात के मूल्यन तथा वितरण पर से नियंत्रण समाप्त कर दिये जाने के पश्चात मुख्य उत्पादक अपने मूल्यों का निर्धारण करने तथा घोषणा करने के लिये स्वतंत्र हैं । अतएव इस्पात के मूल्यों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है और अब इस्पात के मूल्यों का निर्धारण बाजार सामर्थ्य से किया जाता है ।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के इस्पात मूल्यों में वृद्धि का ब्यौरा कारणों सहित निम्नानुसार है :—

प्रभावी तिथि	वृद्धि	कारण
1-3-1992	लम्बे उत्पादों पर 260 रुपये प्रति टन	उत्पाद शुल्क में वृद्धि
	चपटे उत्पादों पर 100-800 रुपये प्रति टन और कच्चे लोहे पर 130 रुपये प्रति टन ।	
1-4-1992	इस्पात पर 124 रुपये प्रति टन और कच्चे लोहे पर 80 रुपये प्रति टन	जावक रेल भाड़े में वृद्धि
18/19-5-92	इस्पात पर औसतन 15% और कच्चे लोहे पर 16%	आदान लागत में मूल्य वृद्धि को पूरा करने के लिये सामान्य मूल्य वृद्धि
2/3-2-93	औसतन 2-3% तक	मूल्यों की पुनर्संरचना करने और आदान लागतों में वृद्धि को पूरा करने के लिये
1-3-93	चपटे उत्पादों पर 1% तथा लम्बे उत्पादों पर 80/- रुपये प्रति टन	उत्पाद शुल्क में वृद्धि
	कच्चे लोहे पर 40 रुपये प्रति टन	
1-4-93	इस्पात पर 130/- रुपये प्रति टन कच्चे लोहे पर 90/- रुपये प्रति टन	जावक रेल भाड़े में वृद्धि